न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाड़ा

बजरिये श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	88/2022
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2022/88
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	21.03.2022
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	04.04.2022

अनवान

क्र.सं.	नाम प्रार्थी / प्रार्थीगण
1	राकेश कुमार पि.शान्तिलाल गोखरू नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	गायत्रीदेवी पत्नि राजेन्द्र मेवाड़ा नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	शान्तिलाल पि.उगमलाल गोखरू नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	पुखराज पि.अर्जुनलाल चौपड़ा नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	सुरेश कुमार पुत्र अर्जुनलाल चौपड़ा नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	जमनादेवी पत्नि जगन्नाथ मेवाड़ा नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द

— अप्रार्थीगण

उपस्थित –अधिवक्ता प्रार्थीगण	श्री विनोदकुमार पारीक
उपस्थित- अधिवक्ता अप्रार्थीगण	1.पैरोकार सरकार श्री आशीष सोनी तहसीलदार आसीन्द 2.एक तरफा कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण संख्या – 88/2022

(1) प्रार्थीगण ने माध्यम अधिवक्ता [illegible] प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि ग्राम आसीन्द में निम्नांकित भूमि नगरपालिका [illegible] दर्ज रेकार्ड है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested

आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
3935	0.66	3935/7123	0.30
3935/7124	0.67		

सहायक कलेक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

(2) उक्त भूमि साबिक जमाबन्दी संवत 2060-63 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा उक्त आराजियात को प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नगरपालिका क्षैत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 04/05 दिनांक 20.05.2005 से रूपान्तरण करा ली गयी उसके पश्चात नगरपालिका आसीन्द के द्वारा प्रार्थीगण के नाम से पट्टा विलेख क्रमांक संख्या 107/657 दिनांक 08.06.2007 से एक पट्टा विलेख जारी किया गया।

(3) न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नगरपालिका क्षैत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा के द्वारा भूमि रूपान्तरण के आदेश के पश्चात नामान्तरण संख्या 1426 के जरिये आराजी नम्बर 3935/7124,3935 मीं की किस्म आबादी व आराजी नम्बर 3935/7123 की किस्म नहरी रहने दी गई तथा नामान्तरण फैसल होने के बाद साबिक जमाबन्दी संवत 2060-63 में नामान्तरण सं. 1426 दिनांक 01.08.2005 से उक्त तीनों आराजी को नगरपालिका आसीन्द के नाम आबादी दर्ज करने की स्वीकृति हुई का दाखिला लगाया गया।

(4) हाल जमाबन्दी संवत 2076-79 में उक्त आराजी की किस्म आबादी की जगह नहरी प्रथम कर रखी है जो गलत है जबकि उक्त आराजी का भूमि रूपान्तरण होकर उसका पट्टा विलेख नगरपालिका आसीन्द द्वारा जारी किया जा चुका है। अतः उक्त आराजियात की किस्म नहरी प्रथम की जगह किस्म आबादी दर्ज कराने की कृपा करावें।

(5) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से पैराकार सरकार तहसीलदार आसीन्द उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

(6) प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट हेतु न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर /278 दिनांक 28.03.2022 से भू.अ.निरीक्षक आसीन्द को आदेशित किया गया था। आदेश की पालना में भू.अ.निरीक्षक आसीन्द की मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(7) प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की इस्तदुआ पर बहस वकील उभय –पक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण की रूपान्तरित भूमि की राजस्व रेकार्ड में किस्म नहरी प्रथम के बजाय आबादी अंकित किया [illegible] हित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested

(8) पैराकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि मौका [illegible] भू.अ.निरीक्षक आसीन्द के अनुसार राजस्व रेकार्ड को अपडेट किये जाने में राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होने से कोई आपत्ति नहीं है।

(9) बहस वकील उभय -पक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों / प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात /भू.अ.निरीक्षक आसीन्द की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट हुये है –

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

A. राजस्व ग्राम आसीन्द में निम्नांकित भूमि नगरपालिका आसीन्द के नाम दर्ज रेकार्ड है –

आ.नं.	रकबा	किस्म
3935	0.66	नहरी प्रथम
3935/7124	0.67	नहरी प्रथम
3935/7123	0.30	नहरी प्रथम

B. उक्त भूमि साबिक जमाबन्दी संवत 2060-63 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा उक्त आराजियात को प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नगरपालिका क्षैत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 04/05 दिनांक 20.05.2005 से रूपान्तरण करा ली गयी उसके पश्चात नगरपालिका आसीन्द के द्वारा प्रार्थीगण के नाम से पट्टा विलेख क्रमांक संख्या 107/657 दिनांक 08.06.2007 से जारी किया गया।

C. न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नगरपालिका क्षैत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा के द्वारा भूमि रूपान्तरण के जारी आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 1426 दिनांक 01.08.2005 को स्वीकृत किया गया जिसमें भूमि रूपान्तरण की निम्नानुसार प्रविष्टि की गयी –

क्र.सं.	भूमि रूपान्तरण से पूर्व की स्थिति				भूमि रूपान्तरण के पश्चात की स्थिति		
	आ.नं.	रकबा	किस्म	खातेदार	खातेदार का नाम	रकबा	किस्म
1	3935मीं	0.66	नहरी प्रथम	जमनादेवी पत्नि जगन्नाथ मेवाड़ा पुखराज पि.अर्जुन चौपड़ा सा.देह	नगरपालिका आसीन्द	0.66	आबादी
2	3935/7123	0.30	नहरी प्रथम	गायत्रीदेवी पत्नि राजेन्द्र कुमार कलाल राकेश कुमार पि.शान्तिलाल गोखरू सा.देह	नगरपालिका आसीन्द	0.30	नहरी प्रथम
3	3935/7124	0.67	नहरी प्रथम	शान्तिलाल पि.उगमलाल गोखरू पुखराज सुरेशकुमार पि.अर्जुनलाल सुरेशकुमार पि.अर्जुनलाल महाजन	नगरपालिका आसीन्द	0.67	आबादी

D. इस प्रकार उक्त नामान्तरणकरण में आ.नं.3935/7123 रकबा 0.30 भूमि की किस्म आबादी के बजाय लिपिकीय भूल से किस्म परिवर्तित नहीं की जाकर पूर्ववत भूमि की किस्म नहरी प्रथम ही दर्ज कर दी गयी जो कि मानवीय भूल होना प्रतीत होता है।

E. तत्पश्चात उक्त नामान्तरण का अमल दरामद जमाबन्दी संवत 2060-2063 में उक्त भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज करने तथा समस्त रूपान्तरित भूमि की किस्म आबादी दर्ज करने का दाखिला अंकित किया गया किन्तु वक्त रोटेशन तैयारी जमाबन्दी संवत 2064-67 में उक्त भूमि को नगरपालिका आसीन्द के नाम दर्ज करते हुये समस्त रूपान्तरित भूमि की किस्म नहरी प्रथम ही अंकित कर दी गयी जो भी लिपिकीय भूल होना प्रतीत होता है। तथा उक्त लिपिकीय भूल के प्रभावी हो जाने से हाल राजस्व रेकार्ड में भी उक्त भूमि नगरपालिका आसीन्द के नाम दर्ज रेकार्ड होकर समस्त भूमि की किस्म आबादी के बजाय नहरी प्रथम दर्ज रेकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested

F. मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आसीन्द के अनुसार उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। तथा आराजी नम्बर 3935/7123 व आ.नं.3935/7124 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 से प्रभावित हो रहे है।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है –

◂ क्रियात्मक आदेश ▸

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम आसीन्द के नामान्तरण संख्या 1426 निर्णय दिनांक 01.08.2005 में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है -

क्र.सं.	आ.नं.	रकबा	किस्म	खातेदार	संपरिवर्तन पर नामान्तरण की स्थिति			नामान्तरण में जो संशोधन किया जाना है
					खातेदार का नाम	रकबा	किस्म	
1	3935मीं	0.66	नहरी प्रथम	जमनादेवी पत्नि जगन्नाथ मेवाड़ा पुखराज पि.अर्जुन चौपड़ा सा.देह	नगरपालिका आसीन्द	0.66	आबादी	यथावत
2	3935/7123	0.30	नहरी प्रथम	गायत्रीदेवी पत्नि राजेन्द्र कुमार कलाल राकेश कुमार पि.शान्तिलाल गोखरू सा.देह	नगरपालिका आसीन्द	0.30	नहरी प्रथम	आ.नं.3935/7123 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि की किस्म आबादी दर्ज की जानी है
3	3935/7124	0.67	नहरी प्रथम	शान्तिलाल पि.उगमलाल गोखरू पुखराज सुरेशकुमार पि.अर्जुनलाल सुरेशकुमार पि.अर्जुनलाल महाजन	नगरपालिका आसीन्द	0.67	आबादी	यथावत

उक्त नामान्तरण संख्या 1426 निर्णय दिनांक 1.08.2005 एंव उनमें किये गये उक्त संशोधित आदेश के अनुरूप पश्चातवर्ती राजस्व रेकार्ड / हाल राजस्व रेकार्ड में भी संशोधन के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार आसीन्द को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से की जावें एंव दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022 / 06 दिनांक 06-4-2022

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द